

**कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग भरतपुर**  
**कार्यालय आदेश**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) पद हेतु भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-अंग्रेजी(नॉनटीएसपी)-2018/2020 दिनांक 17-08-20 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल-11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिबीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/-रु.प्रतिमाह /विद्यमान(पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश परिपत्र दिनांक 02-07-2020 के अनुसरण में दिनांक 22-08-2020 को आयोजित परामर्श कैंम्प के माध्यम से निम्नांकित अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है ।

1. परिबीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के नत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, राहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिबीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
3. परिबीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिबीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकरिमक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

**सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पारित करेंगे:-**

1. अनावश्यक लागू रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चिता कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे। एवं नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का फोटो चस्पा कर प्रमाणित करें।
02. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
03. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
04. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
05. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
06. अभ्यर्थी से दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
07. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई गिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना मिजवाई जावे।
08. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
09. कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/-रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
10. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना मिजवाई जावे।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दिया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण




कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

12. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावे।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरवित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
14. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
15. वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों का आवंटन एवं पदस्थापन वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में विचाराधीन समान याचिकाओं के अन्तिम निर्णयाधीन रहेगा।
16. निदेशक मा0शि0 राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/सेवा नियमितिकरण/2020 दिनांक 13-08-2020 के अनुसार पूर्व सेवारत परिवीक्षाधीन कनिष्ठ सहायक का चयन/पदस्थापन होने की स्थिति में पूर्व पद से त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर ही नवीन पद पर कार्यग्रहण करवाया जा कर कार्यग्रहण रिपोर्ट मय त्यागपत्र की प्रति सहित इस कार्यालय को भिजवाये।
17. भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित NOC for Civil job, NOC FOR higher Education, Retirement Diary, PPO दोहरे लाम सम्बन्धी दस्तावेज/शपथ पत्र एवं कार्यग्रहण कराने से पूर्व 30/09/2018 के पदो हेतु भरे हुए आवेदन की सूचना आदि दस्तावेज प्राप्त करते हुए शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना /परिपत्र, पत्र आदि को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करावे। आयोग द्वारा भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की अनिस्तावना माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अधीन प्रोविजनल प्रेषित की गई है, अतः इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति/पदस्थापन माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अधीन प्रोविजनल ही दिया जा रहा है एवं नियम/शासन की अधिसूचना की शर्तें पूरी नही करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30-09-2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे शाला दर्शन के माध्यम से कार्यग्रहण करवाकर सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न:- आदेश -01

  
(रिपुसूदन) 29/09/2020


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर

दिनांक : 08-09-2020  
07-09-2020

क्रमांक : सनि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-नि0अंग्रेजी-2018/2020-21/381

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (सुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (सुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान भरतपुर /धौलपुर/करीली एवं स0मा0को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक /प्रारम्भिक(मुख्यालय) भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी0आर0सी0एफ0 समग्र शिक्षा अभियान \_\_\_\_\_
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, को प्रेषित किए जा चुके है, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
11. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
14. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर


कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग भरतपुर

वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 विषय-अंग्रेजी में चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश

क्रमांक:-संनि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-नि0अंग्रेजी-2018/2020-21/381 दि०:- 07-09-2020

S.NO	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME OF CANDIDATE / FATHER NAME, HOME ADDRESS	DOB	SELE. CAT.	H.CAT.	OWN CAT.	POSTING PLACE	DISTRICT	CANDIDATE PHOTO
1	424338	664	SURESH KUMAR/BANWARI LAL,VPO-AUPLUR ,DIS.JHUNJHUNU	30/07/1978	OBCM	EX	BC,EX	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GUJARPURA (217538), BARI	DHAULPUR	
2	324772	719	RAJENDRA SINGH LOCHIB/SUBBE SINGH,VILLAGE HARIPURA POST JODHPURA TEHSIL UDAIPURWATI JHUNJHUNU 333801	02-Feb-86	OBCM	EX	BC,EX	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MARENA (211812), RAJAKHERA	DHAULPUR	
3	307541	725	GHARSI RAM SWAMI/MAHADEV PRASAD SWAMI,233 BAIKANG VIHAR 2ND BACHARANA HARMADA TEH AMER JAIPUR - JAIPUR 302013	25-Jan-82	OBCM	EX	BC,EX	GSS MOHAN PURA,TODABHAIM	KARAU	
4	420810	734	DEVENDRA KUMAR/SATYA ROOP SINGH,HOUSE NO 80/2 VIVEK NAGAR BEHIND DISTRICT STADIUM JHUNJHUNU JHUNJHUNU 333001	19-Feb-78	OBCM	EX	BC,EX	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NADANPUR (217503), BASERI	DHAULPUR	
5	389949	738	RAJENDRA SWAMI/BIRBAL SWAMI,VILL KAIRWALI POST PURANABAS - SIKAR 332713	02-Jul-81	OBCM	EX	BC,EX	BOHARE BADRI PRASAD GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARAU (211772), SAIPAU	DHAULPUR	
6	108576	153	DIVYANSHU ACHARYA/HARISH ACHARYA,BRAHAMPURI NAYA SHAHAR KUCHAMAN CITY NAGOUR 341508	29-Aug-92	GENM		GE,RG	GOVT. SECONDARY SCHOOL BADRETHA (226871), BARI	DHAULPUR	

नोट :- मरिट क्रमांक 153 अभ्यर्थियों से संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावे । यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में नियुक्ति अधिकारी द्वारा कोई शर्त लगायी है तो उसके अनुसार ही कार्यग्रहण करावे । विपरीत स्थिति में कार्यग्रहण ना कराकर इस कार्यालय को अवगत करावे ।

  
7-9-2020  
( रिपुसूदन )

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
भरतपुर संभाग भरतपुर